

समाचार प्रकाशनार्थ

75 परिवारों को गृह प्रवेश कराएंगे विधायक चेतन्य काश्यप
चेतन्य काश्यप फाउण्डेशन ने दी प्रति हितग्राही 10ए000 रूपए मार्जिन मनी

रतलाम 28 अक्टूबर। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलब्ध में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के दौरान शिवशंकर कॉलोनी में निवासरत 75 परिवारों के लिए 29 अक्टूबर का दिन नई खुशिया लेकर आएगा। इस दिन इन सभी परिवारों को विधायक चेतन्य काश्यप के हाथों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डोसीगांव में निर्मित अफोर्डेबल हाउस में शाम 4 बजे नया आशियाना मिलेगा।

शिवशंकर कॉलोनी में निवासरत इन परिवारों को एएचपी घटक के तहत गृहप्रवेश कराया जाएगा। इससे पूर्व फरवरी माह में मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा डोसीगांव में निर्मित प्रधानमंत्री आवासों में 101 परिवारों को गृहप्रवेश कराया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित पात्र हितग्राहियों को बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति कराई गई है। इन सभी हितग्राहियों की मार्जिन मनी की राशि में चेतन्य काश्यप फाउण्डेशन द्वारा प्रति हितग्राही 10.10 हजार रूपए की सहायता भी प्रदान की गई है।

कोरोना दुसरा टीका षत प्रतिष्ठित लगाये जाने हेतु एसडीएम ने ली बैठक रतलाम 28 अक्टूबर। रतलाम नगर के ऐसे नागरिक जो कि ऐसे नागरिक जो कि कोरोना का पहला टीका लगवा कर तय समय सीमा पूर्ण कर चुके हैं उनके षत प्रतिष्ठित वैक्सीनेषन हेतु एसडीएम श्री अभिशेक गेहलोत ने आंगनवाड़ी सुपरवाईजर ए कार्यकर्ता ए सहायिका ए वार्ड दरोगाओं की बैठक सिलावटो का वास स्थित नरसिंह वाटिका में ली।

आयोजित बैठक में एसडीएम श्री अभिशेक गेहलोत निर्देशित किया कि नगर के ऐसे नागरिक जो कि पहला टीका लगवाने की तय समय सीमा पूर्ण कर लेने के बाद भी दूसरे टीके से वंचित हैं उनका दूसरा टीका घर घर जाकर षत प्रतिष्ठित टीकाकरण करवाये। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का भी टीकाकरण किया जाना है इसलिये अपने अपने क्षेत्रों में सर्वे का कार्य पूर्ण करें।

बैठक मंे प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री जीणकेण जायसवालए सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंह सहित आंगनवाड़ी सुपरवाइजरए कार्यकर्ताेए सहायिका व वार्ड दरोगा उपस्थित थे।

28 अक्टूबर को 1 मिट्रिक टन से ज्यादा कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 28 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घरघर से पृथक पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले सूखे कचरे व सड़को व नाले नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टें चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 28 अक्टूबर गुरुवार को 1 मिट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टें चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

28 अक्टूबर गुरुवार को डम्पर से 53670ए टें कटर से 10300ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 28041ए गीला कचरा 17335 किलो इस तरह कुल 109346 किलो कचरा जुलवानिया टें चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

सुभाशचन्द्र षाँपिंग काम्पलेक्स की दुकानें क्रय करने हेतु व्यापारीए दुकानदार व नागरिक 10 नवम्बर तक ऑन लाईन निविदा जमा करा सकते हैं

रतलाम 28 अक्टूबर । महू रोड स्थित सुभाशचन्द्र षाँपिंग काम्पलेक्स की 99 दुकानों के विक्रय किये जाने हेतु नगर निगम द्वारा निकाली गई ऑन लाईन निविदा की अंतिम तिथि में बढ़ोत्तरी की गई है जिसके तहत व्यापारीए दुकानदारए नागरिक 10 नवम्बर तक दुकान क्रय करने हेतु ऑन लाईन निविदा जमा करा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि षहर के मध्यए महू रोड सिटी फोरलेन स्थित सुभाशचन्द्र षाँपिंग काम्पलेक्स बस स्टैण्ड परिसर के समीप होकर विषाल पार्किंग के साथ बगैर किराये के उपलब्ध 99 दुकानों के विक्रय हेतु ऑन लाईन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर नियत थी। व्यापारीए दुकानदार व नागरिकों की सुविधा को दृश्टिगत रखते हुए निविदा की अंतिम तिथि में बढ़ोत्तरी की जाकर 10 नवम्बर की गई है।

नगर निगम द्वारा दुकानदारो व नागरिकों अपील की जाती है कि नगर निगम द्वारा व्यापारीबंधुओंए दुकानदारों व नागरिकों से अपील की जाती है कि अपनी

दुकान अपनी पहचान की तर्ज पर अचल संपत्ति अन्तरण नियम 2016 अनुसार दुकान क्रय करने हेतु ई.निविदा प्रक्रिया में भाग लेवें। ई.निविदा संबंधी अधिक जानकारी सुभाशचन्द्र षापिंग काम्पलेक्स में संचालित कार्यालय व नगर निगम विकास षाखा से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

3526 पेंषन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंषन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें
वार्डवार केन्द्रों व घर.घर जाकर किया जा रहा है सत्यापन

रतलाम 28 अक्टूबर । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंषनए राश्ट्रीय विधवा पेंषनए राश्ट्रीय निःषक्त पेंषनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंषनए विधवा पेंषनए निःषक्त पेंषनए मानसिक बहुविकलांग पेंषन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का षासन निर्देषानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर.घर जाकर व वार्डवार बनाये गये केन्द्रों पर किया जा रहा है जिसके तहत 28 अक्टूबर गुरुवार को 176 पेंषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया गया इस तरह अब तक 3526 पंःषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंषन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों को आव्यक दस्तावेज बीपीएल राषन कार्डए समग्र आईडीए बैंक खाते की पास बुकए निवासीए जन्मए आयुए चिकित्सकए निःषक्तताए आयकर दाता ना होए पति की मृत्यु का प्रमाण.पत्रए अंक सूचीए मतदाता सूचीए मतदाता परिचय.पत्रए महात्मा गांधी राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत जारी जाब कार्डए उपलब्ध कराकर या वार्डवार बनाये केन्द्र वार्ड 1 अम्बेडकर मांगलिक भवन गांधी नगरए वार्ड 2 रामकला सभागृह लक्ष्मणपुराए वार्ड 3 राठौड़ समाज धर्मषालाए वार्ड 4 महर्शी दयानन्द वैदिक विद्यालयए वार्ड 5 गुरु रामदास स्कूल विनोबा नगरए वार्ड 6 मार्निंग स्टार स्कूल इंदिरा नगरए वार्ड 7 अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए वार्ड 8 संतनामदेव पब्लिक स्कूल विनोबा नगरए वार्ड 9 सांई ऐकेडमी स्कूल 80 फीट रोडए वार्ड 10 सिंधी गुरुद्वारा मोहन नगरए वार्ड 11 बोधी स्कूल डोंगरे नगरए वार्ड 12 सुमंगल गार्डन कस्तुरबा नगरए वार्ड 13 अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल जवाहर नगरए वार्ड 14 सरस्वती स्कूल काटजू नगरए वार्ड 15

मांगलिक भवन सुभाश नगरए वार्ड 16 काष्यप सभागृह सागोद रोडए वार्ड 17 उत्कृश्ट स्कूल सागोद रोडए वार्ड 18 षांति निकेतन टाटा नगरए वार्ड 19 राधाकृष्ण प्राथमिक विद्यालय दीनदयाल नगरए वार्ड 20 सरस्वती स्कूल अमृत सागरए वार्ड 21 नरसिंह वाटिका सिलावटो का वासए वार्ड 22 मानस भवन मोती नगरए वार्ड 23 ज्योति कान्वेंट स्कूल बाजाली नगरए वार्ड 24 सब्जी फिरोस जमातखाना सायर चबुतराए वार्ड 25 सगरवंषी माली समाज धर्मषालाए वार्ड 26 संतमीरा स्कूल थावरिया बाजारए वार्ड 27 जमातखाना षेरानीपुराए वार्ड 28 मांगलिक भवन दिलीप नगरए वार्ड 29 डीआरपी लाईन आनन्द कालोनीए वार्ड 30 काजीखान की मस्जिद जावरा रोडए वार्ड 31 षासकीय प्राथमिक स्कूल डोसीगांवए वार्ड 32 उजाला पैलेस स्टेषन रोडए वार्ड 33 लायंस हॉल पावर हाउस रोडए वार्ड 34 रोटरी हॉल अजंता टॉकिज रोडए वार्ड 35 मेंहदीकुई बालाजी नगर निगमए वार्ड 36 कान्वेंट स्कूल मित्र निवास रोडए वार्ड 37 लॉ कॉलेज आनन्द कालोनीए वार्ड 38 जमातखाना षेरानीपुराए वार्ड 39 षासकीय प्राथमिक स्कूल षेरानीपुराए वार्ड 40 श्रीमाली धर्मषालाए वार्ड 41 मोहन टॉकिजए वार्ड 42 माहेष्वरी धर्मषाला कसारा बाजारए वार्ड 43 गणेष मांगलिक भवन रामबागए वार्ड 44 बोहरा कम्युनिटी हॉल बोहरा बाखलए वार्ड 45 षासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल माणक चौकए वार्ड 46 आईएमए हॉल राजेन्द्र नगरए वार्ड 47 मदरसा तालीमुल कुरआन नयापुरा हाट रोडए वार्ड 48 सूरजहॉल वेदव्यास कालोनीए वार्ड 49 सिखवाल धर्मषाला ब्राम्हणों का वास तथा नगर निगम के आईटी सेल में आव्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

नगर निगम द्वारा अब तक 7562 आयुशमान कार्ड बनाये गये

नगर निगम के आईटी सेल में 28 दिनों में 190 हितग्राही के बनाये आयुशमान कार्ड निगम के आईटी सेल में हितग्राही बनवायें आयुशमान कार्ड

रतलाम 28 अक्टूबर । आयुशमान भारत श्शनिरामयम’ ’ योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःषुल्क बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे हैं जिसके तहत 1 से 28 अक्टूबर तक 190 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज

समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुश्मान भारत श्शनिरामयम’ ’ योजना के तहत नगर के षेश रहे पात्र हितग्राहियों के आयुश्मान कार्ड नगर निगम के विकास षाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे हैं। नगर निगम विकास षाखा स्थित आईटी सेल में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 28 अक्टूबर को 1 हितग्राहियों के आयुश्मान कार्ड बनाये गये इस तरह 1 से 28 अक्टूबर तक 190 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके हैं। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों व उचित मूल्य की दुकानों पर 7316 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7562 आयुश्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुश्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया है कि रतलाम नगर के षेश रहे हितग्राहियों के आयुश्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

1770 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 30 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 28 अक्टूबर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूँजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यषील पूँजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूँजी हेतु 1707 हितग्राहियों को राष्ट्रीय रूपये 10ए0000₹ तथा द्वितीय कार्यषील पूँजी हेतु 63 हितग्राहियों को राष्ट्रीय रूपये 20ए0000₹ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 35 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 2 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्ड ए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राष्टि होगी वसूल

रतलाम 28 अक्टूबर । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड ए सागोद रोड ए महू रोड ए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलों के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राष्टि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलों को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राष्टि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

डैंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक एक डबल बैरल फॉगिंग मषीन से कीटनाषक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 28 अक्टूबर । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देषानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डैंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झोन में एक एक डबल बैरल फॉगिंग मषीन से कीटनाषक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डैंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देषानुसार प्रत्येक झोन में एक एक डबल बैरल फॉगिंग मषीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रुट चार्ट अनुसार सुबह

05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाषक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 28 अक्टूबर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों दुकानदारों व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 28 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्ठित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100

प्रतिष्ठत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्क्षॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिष्ठत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 28 अक्टूबर । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है ए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नालेनालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नालेनालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। वार्डों की समुचित साफसफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफसफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्येयसंचित्त्वहेमन्त्र१०२८१०२०२१न्पाणिगमए रतलाम